

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :— 210 / 2019—20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा — 46)

श्री मसीह दास बाबा

— विक्रेता

श्रीमती पुष्पा बखला

— क्रेता

आदेश की क्रम  
संख्या और  
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की  
गई कार्रवाई के  
बारे में टिप्पणी,  
तारीख सहित

02.01.20

## आदेश

आवेदक श्री मसीह दास बाबा पिता स्व0 गब्रियल बाबा ग्राम—बिचना टोला पेलौल, थाना मुरहू जिला खूँटी ने श्रीमती पुष्पा बखला पति श्री प्रकाश खेसरा ग्राम—कुंजला, थाना मुरहू जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
बिचना	262	90	2136	0.15

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0267712536 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 1386 दिनांक 19.12.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी ऐयत का नाम मशीदास मुण्डा वैगरह है। पंजी II के अनुसार तिन्तुस मुण्डा के नाम भूमि का रकबा 20.13 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 6.71 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018—19 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 12368.00(बारह हजार तीन सौ अड़सठ)रु0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के क्रय में आवेदक के डिसेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 6.56 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरुआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता—विक्रेता को भूमि क्रय—विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण श्री मसीह दास बाबा पिता स्व0 गब्रियल बाबा को श्रीमती पुष्पा बखला पति श्री प्रकाश खेसरा के साथ ग्राम बिचना के खाता सं0 90 खेसरा संख्या 2136 कुल रकबा 0.15 एकड़ भूमि न्युनतम प्रस्तावित दर 12368.00(बारह हजार तीन सौ अड़सठ)रु0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।

3/01/20

3/01/20